भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2473

(जिसका उत्तर सोमवार 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

खुदरा निवेशकों के लिए विनियम

2473. **श्री राव राजेन्द्र सिंह:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेबी के उन हालिया निष्कर्षों पर ध्यान दिया है कि फ्यूचर्स और ओप्शंस (एफएंडओ) खंड में लगभग 90% लोगों को घाटा हो रहा है और खुदरा निवेशकों को सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2024-25 में 1.06 लाख करोड़ रूपए से अधिक की हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सूचकांक विकल्पों में असामान्य अस्थिरता पैदा करने वाले हेरफेर वाले व्यापारिक कार्यों में कथित रूप से शामिल संस्थाओं के खिलाफ सेबी की कार्रवाई का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का खुदरा निवेशकों को ऐसे सट्टा और उच्च जोखिम वाली व्यापारिक कार्यकलापों से बचाने के लिए नियामक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने का विचार हैं और;

(घ) यदि हां, तो निवेशक शिक्षा में सुधार, अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने और एल्गोरिथम और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

उत्तर (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वैयक्तिक व्यापारियों को वित्त वर्ष 2025 में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में ₹1,05,603 करोड़ की निवल हानि हुई है।

उत्तर (ख): सेबी ने 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में मूल्य और मात्रा अभिचालन (वॉल्यूम मैनिपुलेशन) में कथित भागीदारी के लिए चार संस्थाओं के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है।

और (ग और घ): सेबी ने बाजार की स्थिरता को प्रभावित करने और शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए विनियामक और निगरानी उपाय किए हैं:

1. सेबी ने, एफ एंड ओ सेगमेंट को सुदृढ़ करने के लिए, अक्टूबर 2024 से कई उपाय किए हैं, जिनमें साप्ताहिक सूचकांक व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) उत्पादों को युक्तिसंगत बनाना, विकल्प समाप्ति (ऑप्शन एक्सपायरी) के दिन अंतिम जोखिम (टेल रिस्क) कवरेज में वृद्धि, सूचकांक व्युत्पन्न के लिए अनुबंध का आकार बढ़ाना, मासिक सूचकांक उत्पादों का युक्तिकरण, खरीदारों से ऑप्शन प्रीमियम का अग्रिम संग्रह, समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाना और स्थिति सीमा (पोजिशन लिमिट) की इंट्राडे निगरानी शामिल है। मई 2025 में, सेबी ने कई एक्सचेंजों में विभिन्न व्युत्पन्न अनुबंधों के समाप्ति दिनों को सुव्यवस्थित करने और एफ एंड ओ में जोखिमों की बेहतर निगरानी और प्रकटीकरण के लिए स्थिति सीमा (पोजिशन लिमिट) के लिए उपयुक्त जोखिम मेट्रिक्स को लागू करने के उद्देश्य से और उपाय किए।

2. सेबी ने वैयक्तिक व्यापारियों के लिए जोखिम प्रकटीकरण भी अनिवार्य कर दिया है-
ब्रोकरों को यह प्रकट करना अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022 के दौरान जब उपयोगकर्ता (यूजर्स) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर रहे थे उस समय 10 में से किन 09 वैयक्तिक व्यापारियों ने एफएंडओ में हानि पहुचाई।

3. सेबी ने भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सभी एल्गोरिथम व्यापार के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित किया है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एल्गो का पूर्व पंजीकरण, एल्गोरिथम गतिविधि को ट्रैक करने के लिए विस्तृत लॉग और ऑडिट ट्रेल्स का रखरखाव, एल्गो के दुरुपयोग को रोकने के लिए रियल-टाइम की निगरानी प्रणाली आदि शामिल हैं।

4. सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के साथ समन्वय करके, देश के विभिन्न हिस्सों में नियमित निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इन निशुल्क कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी निवेश सिद्धांतों, उत्पाद सुविधाओं, शामिल जोखिमों, निवेशक अधिकार और उत्तरदायित्वों, निवेश घोटालों की सामान्य विशेषताओं, पंप और डंप योजनाओं, स्वस्थ डिजिटल पद्धतियों आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है।

5. वित्त वर्ष 2025 में सेबी द्वारा बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआईएस) के समन्वय में 35,734 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 724 जिले शामिल हैं.

****